डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवजीन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2002—चैत्र 8, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

क्रमांक 454/837/2001/1/8.—श्री सतीश पांडे, छत्तीसगढ़ वित्त तथा लेखा सेवा स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 587/A/साप्रवि/2002/स्था./1/2.—श्री सुनील कुमार कुजूर, आय. ए. एस. (1986), को तत्काल प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक 430/519/2002/1-8/स्था.—श्री डी. एस. त्रिपाठी, मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 18-3-2002 से 21-3-2002 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्रिपाठी को पुनः मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री त्रिपाठी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री त्रिपाठी के अवकाश अवधि में श्री एस. एन. ओझा, लेखा अधिकारी अपने कर्त्तव्य के साथ-साथ मुख्य लेखा अधिकारी का भी कार्य देखेंगे.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

क्रमांक 360/451/2002/1-8/स्था.—श्री एस. आर. चौरे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 10-10-2001 से 28-10-2001 तक 19 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29-10-2001 से 14-2-2002 तक 109 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौरे को पुनः उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री चौरे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री चौरे यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 306/220/2002/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 11-2-2002 से दिनांक 8-3-2002 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9 एवं 10-2-2002 व दिनांक 9 एवं 10-3-2002 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साकी को पुनः विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री साकी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री साकी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 743/535/2001/साप्रवि/2/स्था.—श्री आर. डी. मीणा, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई-दिल्ली को दिनांक 18 फरवरी, 2002 से 22 फरवरी, 2002 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 23 एवं 24 फरवरी, 2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. डी. मीणा को आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त के पद पर नई-दिल्ली, छत्तीसगढ़ भवन में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव (लेखा).

लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 579/298/2001/स्वा.—विभागीय आदेश क्रमांक 3336/298/2001/स्वा., दिनांक 25-7-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम 1997 के नियम-3 के प्रावधान के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित विधायकों को सदस्य नामांकित करता है :—

1. श्री मदन डेहरिया सदस्य
विधायक, मस्तुरी
जिला-बिलासपुर.

2. श्री प्रेमसिंह सिदार सदस्य
विधायक, लैलुंगा
जिला-रायगढ़

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक 913/298/2001/स्वा.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3336/298/2001/स्वा., दिनांक 25-7-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम 1997 के नियम-3 के प्रावधान के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. के. एम. काम्बले, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-1-15/2001/मबावि.—यत: राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 7 के अधीन मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एफ-10-145/98/50-2, दिनांक 30-3-99 तथा तथा आदेश क्रमांक एफ-8-20/95/2, दिनांक 30-3-99 द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में जिला स्तर पर शक्तियां जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित की गई थी.

यत: छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश (क्रमांक 4 सन् 2001) तारीख 16 मई, 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त हो गया है.

अतएव छत्तीसगढ़ योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऊपर उल्लेखित मध्यप्रदेश सरकार के आदेशों को निरस्त करती है तथा तारीख 1-4-99 की स्थिति को प्रत्यावर्तित करती है.

Raipur, the 7th December 2001

No. F-1-15/2001/WCD.—Whereas it has brought into notice of the State Government of Chhattisgarh that under Section 7 of the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), the Government of Madhya Pradesh had delegated the powers to Zila Yojana Committee, at the district level, in relation with departmental schemes by its Order No. F-10-145/98/50-2 dated 30-3-99 and Order No. F-8-20/95-2 dated 30-3-99 of Women and Child Development Department, Madhya Pradesh.

Whereas, the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sansodhan) Adhyadesh 2001 (No. 4 of 2001) has come into force in the Chhattisgarh State from the date 16-5-2001.

Now therefore in pursuance of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sansodhan) Adhyadesh 2001 (No. 4 of 2001). The State Government, hereby, repeal the above mentioned orders of Madhya Pradesh Government and restore the situation as on 1-4-99.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक 209/मबावि/सावि/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है.
   (2) यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गयी कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधि का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश दहेज प्रतिषेध नियम, 1999

Raipur, the 28th February 2002

No. 209/WCD/SD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely:—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to an shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" Shall be substituted.

3. Anything done or any action taken including (any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Law (2)
1.	Madhya Pradesh Dowry Prohibition Rules, 1999

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2002

क्रमांक 24/1343/आ.पर्या./2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा ''सारंगढ़'' नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसमें अनुसूची एक के अनुसार ग्राम सम्मिलित करते हुये अनुसूची दो में सीमायें परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची-1

1. सारंगढ़, 2. चिगरीपाली, 3. विशालपुर, 4. सहसपुर, 5. चंदरपुर, 6. बरदरहा, 7. खैरोहा, 8. जुनाडीह, 9. दुर्गापाली, 10. कुटेली, 11. भोजपुर, 12. कोतरी, 13. वासिन बेहरा, 14. साराडीह, 15. झरपीडीह, 16. उमेदपुर, 17. बिजेपुर, 18. भंवरपुर, 19. झारपाली, 20. उधरी, 21. भेजनार, 22. खम्हारडीह, 23. पचपेड़ी, 24. चन्दाई.

अनूसूची-2

सारंगढ़ निवेश क्षेत्र सीमायें

उत्तर दिशा : ग्राम-वासिन बेहरा, कोतरी, उधरी, पचपेड़ी खम्हारडीह.
पूर्व दिशा : ग्राम-बिजेपुर, उमेदपुर, झारपाली, साराडीह.
पश्चिम दिशा : ग्राम-भोजनार, जुनाडीह, चन्दाई, दुर्गापाली, कुटेली.
दक्षिण दिशा : ग्राम-बरदरहा, चंदरपुर, आरक्षित वन सीमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, संयुक्त सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्रमांक एफ 6-12/2002/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. आर. देवांगन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा के रिक्त पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता खेक, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 429/45/श्रम/2002.—चूंकि श्री गणेश जूटेक्स लि. भनपुरी औद्योगिक नगर रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जू मिट मजदूर यूनियन शारदा चौक, रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक संचालक श्री गणेश जूटेक्स लि. भनपुरी औद्योगिक नगर भनपुरी रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद का औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव म. प्र. औ. सं. अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. क्या श्रमिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त होना चाहिए? यदि हां तो किस दर से?
2. क्या श्रमिकों को आवागमन भत्ता प्राप्त होना चाहिए ? यदि हां तो किस दर से ?
3. क्या श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को संस्थान में नियोजन की पात्रता होना चाहिए ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना उचित होगा.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 429/45/श्रम/2002.—म. प्र. औद्योगिक संस्थान अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जूट मिल मजदूर यूनियन शरदा चौक रायपुर एवं श्री गणेश जूटेक्स लि. भनपुरी औद्योगिक नगर भनपुरी रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/एम.पी.आई.आर./2000

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़) एवम् पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कैथा प.ह.नं. 26	4.528	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर, संभाग क्र. 2 चांपा.	कैथा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दा प.ह.नं. 23	0.950	कार्यपालन यंत्री मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	जमड़ी माइनर नं. 1 (हसौद वितरक नहर) नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	जमड़ी प.ह.नं. 23	1.784	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	जमड़ी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	जमड़ी प.ह.नं. 23	2.846	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा	जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	1.383	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कैथा प.ह.नं. 26	0.849	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	झरप माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झरप प.ह.नं. 25	2.312	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	झरप माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 24	1.634	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	थिवरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची की खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	धिवरा प.ह.नं. 24	2.376	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	धिवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	बोरसी प.ह.नं. 20	1.594	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	गतवा प.ह.नं. 20	1.460	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सिलादेही प.ह.नं. 21	1.153	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सिलादेही प.ह.नं. 21	7.941	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	मौहाडीह प.ह.नं. 21	2.902	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	रनपोटा प.ह.नं. 16	1.588	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	हसौद माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 15	3.970	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	हसौद माइनर (हसौद वितरक नहर) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेंपुर	कैथा प.ह.नं. 26	1.066	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	गुडरुकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेंपुर	गुडरुकला प.ह.नं. 23	2.628	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	गुडरुकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सिवनी प.ह.नं. -3	0.166	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	बालपुर माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	पचोरी प.ह.नं. 12	1.032	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	पचोरी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	नगारीडीह प.ह.नं. 23	1.048	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	मल्दा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	3.536	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	मल्दा माइनर (हसौद वितरक नहर) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/गांव (3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन (6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 24	0.969	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	मल्दाकला उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दीं जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/गांव (3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन (6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	हथनेवरा प.ह.नं. 2	0.449	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	सोठी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	पिपरदा प.ह.नं. 10	0.259	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	हथनेवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जां[illegible]-चांपा	चाम्पा	सोठी प.ह.नं. 10	0.376	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	हथनेवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/27.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प.ह.नं. 23	2.027	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	चोरिया सब माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/28.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प.ह.नं. 13	2.093	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	लखाली माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/29.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	झर्रा प.ह.नं. 3	1.740	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	लखाली वितरक नहर के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/30.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कमरीद प.ह.नं. 4	2.890	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	अफरीद वितरक नहर के माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	हसौद प.ह.नं. 36	3.668	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चांपा.	नकटाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	अकलसरा प.ह.नं. 17	1.488	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	अकलसरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन-अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/33.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिएं आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	दर्राभाठा प.ह.नं. 16	1.157	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	अकलसरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/34.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कुम्हारी प.ह.नं. 31	0.061	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/35.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली प.ह.नं. 14	0.178	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	जेठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पलाड़ीखुर्द प.ह.नं. 15	0.299	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 सक्ती.	पलाड़ी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/37.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	डूमरपारा प.ह.नं. 14	0.284	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	पलाड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/38.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार प.ह.नं. 15	0.049	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/39.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	दर्राभाठा प.ह.नं. 17	0.271	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/40.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जर्वे प.ह.नं. 1	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	जर्वे माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/41.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नगरदा प.ह.नं. 3	0.388	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/42.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जुड़गा प.ह.नं. 4	0.678	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/43.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 6	4.625	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/44.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरवाह प.ह.नं. 6	1.130	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरवाह प.ह.नं. 6	10.958	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कांदानारा प.ह.नं. 7	0.725	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/47.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्देली प.ह.नं. 6	5.719	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/48.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिघनारा प.ह.नं. 10	3.831	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/49.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प.ह.नं. 6	5.108	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/50.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मसनिया खुर्द प.ह.नं. 6	5.577	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/51.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	मांझापारा प.ह.नं. 21	1.297	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	खरौद सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/52.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने-6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा-4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने-5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	तुस्मा पं.ह.नं. 14	1.787	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	खरौद सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/53.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं. 21	1.590	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	खरौद सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/54.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं. 21	0.973	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	खरौद सब माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/55.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	राहौद प.ह.नं. 17	0.408	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	राहौद माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/56.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	चण्डीपारा प.ह.नं. 3	0.141	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	चण्डीपारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/57.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	पेण्ड्री प.ह.नं. 14	0.251	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	भवतरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/58.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	धरदेई प.ह.नं. 16	0.312	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	धरदेई माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/59.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पोड़ी प.ह.नं. 3	0.065	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग अकलतरा.	पोड़ी माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/60.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पचरी प.ह.नं. 2	0.109	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग अकलतरा.	हेड़सपुर माइनर के भलवाही माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी, 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/61.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचित के खाने 1 से 4 वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने–6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा–4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने–5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/गांव	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पीपरसत्ती प.ह.नं. 2	0.113	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग अकलतरा.	पीपरसत्ती माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसंबर, 2001

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक [illegible], सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा,

(ग) नगर/ग्राम-हरदीकलाटोना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.26 एकड़.

	खसरा नंबर	(रकबा) (एकड़)
	(1)	(2)
	2122	0.11
	2140/2	1.66
	2116/1	2.88
	2158/1	1.61
योग	04	6.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पोंडी सरवानी बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में किया जाता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा,

(ग) नगर/ग्राम-हरदीकलाटोना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.70 एकड़.

	खसरा नंबर	(रकबा) (एकड़)
	(1)	(2)
	2095	2.59
	2104	1.36
	2123	0.75
योग	03	4.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पोंडी सरवानी बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में किया जाता है.

कार्यालय कलेक्टर, कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 50.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम -गितारी, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.417 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
629	0.040
630/2	
630	0.142
631	
606/2	0.166
611/1	

(1)	(2)
611/2	
601/3	0.061
606/1	0.259
604/1	0.129
605/2	0.008
602	0.052
601/1	0.129
601/2	0.040
575	0.097
587	0.008
586	0.012
585	0.024
578	0.077
577/3	0.020
577/2	0.053
577/1	0.077
506/2	0.081
506/3	0.073
505	0.008
507	0.154
498	0.089
494/1	0.113
497	0.032
495	0.032
493	0.008
491	0.158
487	0.045
485	0.154
484	0.045
481	0.170
479	0.081
480	
421	0.093
486	
334/1	0.016
336	0.057
420	
337	0.057
419	0.275
415	0.069
416/1	
414/1	0.049
414/2	0.045
416/3	
413	0.081
412	0.081
408	0.077
407	0.024
44	0.105
34	0.093
43	0.012
33/1	0.097
58/1	0.194
45	0.008
158/2	0.016
59/2	0.0004
60	
63/1	0.020
81/2	
83/1	0.057
84/3	
83/2	0.061
83/2	0.057
82	0.036
86/1	0.008
86/2	0.012
87/1	0.024
86/4	0.008
86/7	0.016
93/3	0.016
140	0.077
88/2	0.008
89	
83/3	0.012
90	
92/1	0.012
93/2	
93/1	0.008
92/2	0.016
93/4	0.012
94/3	0.049
97/2	
141	0.045
143/1	0.061
144/1	0.040
155/3	0.105
156/1	
156/3	
158	0.061
192/1	0.049
191/2	0.052
191/1	
221	
232	0.045
233	0.024
234	0.012
152/1	0.057
153/1	0.008
योग 87	5.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गितारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 51.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा, 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम उमरेली, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.828 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
811	0.049
813	0.057
816	0.045
819	0.028
817	0.073
818	0.372
820	
821	0.053
822	
823	0.117
847	0.045
824/2	0.85
825	0.081
830	0.004
846/1	0.077
848/1	0.020
849	0.004
853	0.008
850	0.004
856	0.125
851	0.004
855/2	0.069
855/3	0.117
852	0.069
857	0.016
889	0.105
890	
888	0.061
1402/1	0.032
891	0.016
892	
972/3	0.053
973/1	
972/1	0.032
972/2	0.150
969	0.045
981/1	
981/2	0.016
1029/1	0.109
1029/2	
1404/3	0.073
1031/5	0.121
1385/1	0.121
1384/1	0.085
1384/3	0.105
1384	0.008
1389	0.004
1404/1	0.097
950	0.045
1027	
951	0.016
1025	0.012
योग 44	2.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 52.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम - फरसवानी, प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.1333 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1139/1	0.129
1183	0.004
योग 2	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 53.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक—1 सन् 1894) संशोधित भू—अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-बगदर, प.ह.नं. 76

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.141 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177, 178	0.049
176/1	0.008
176/2	0.045
170	0.105
171	0.097
172/1	0.097
167	0.073
160	0.069
166	0.089
165	0.093
163, 164	0.097
150	0.105
146, 147	0.004
151	0.210
योग 14	1.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बगदर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 54.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक—1 सन् 1894) संशोधित भू—अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-रींवापार, प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.347 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
258	0.040
263/1	0.077
264	0.040
265	0.008
266	0.049
271	0.117
272	0.004
273	0.008
274	0.004
योग 9	0.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिवनी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 55.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम प.ह.नं.-सरईपाली, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.828 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117	0.061
	122	0.101
	123	0.049
	115/2	0.061
	124/1	0.032
	124/2	0.032
योग	6	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिवनी डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 56.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.474 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/3	0.265
	1/2	0.008
	2/2	0.028
	2/1	0.032
	2/4	0.146
	2/3	0.077
	7	0.178
	8/1	0.267
	9/4	0.045
	9/3	0.125
	9/1	0.012
	10/1	0.069
	10/2	0.053
	11/1	0.028
	11/2	0.036
	13	0.008
	12	0.008
	14	0.089
योग	18	1.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 57.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रींवापार, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	121	0.004
	122	0.028
योग	2	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 58.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.496 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	37	0.012
	36/6	0.040
	36/7	0.036
	36/5	0.049
	43	0.028
	36/2	0.008
	36/4	0.020
	35/1	0.061
	36/1	0.028
	12	0.093
	11	0.101
	3	0.020
योग	12	0.496

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-अमझर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 59.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाँठा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.587 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	202	0.227
	203	0.024
	228/2	0.036
	200/1	0.162
	200/2	0.081
	229/2	0.057
योग	6	0.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-दर्राभाँठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसंबर 2001

क्रमांक 60.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक–1 सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम प.ह.नं.-सुखरीकला, प.ह.नं. 77
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	0.012	
	438/1	0.012
	439/1	0.117
योग	2	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सुखरीकला माइनर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अति. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 22 मार्च 2002

क्रमांक 114/अ/82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-छितापार,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/1	3.96
153	0.44
252	0.83
149	0.20
140	0.09
222	0.11
224	0.32
270	0.29
232	0.25
245	0.26
234	0.30
300	1.17
272	1.49
302	0.37
308	0.53
333	5.37
212/2	0.02
259	0.17
273	0.38
286	0.20
288	0.42
143	1.41
155	0.75
236	1.11
150	0.27
146	0.19
254	0.76
255	0.16
226	0.56
229	0.32
233	0.30
244	0.39
262	0.05
251	0.37
289	0.26
292	0.26
309	0.08
334	0.47
148	0.19
263	0.26
274	0.20
287	0.34
291	0.30
253	0.29
154	0.43
152	1.52
331	1.12
145	0.14
301	1.40
223	0.33
246	0.37
231	0.27
235	0.45
249	0.27
247	1.85
271	0.25
290	0.22
298	0.43
330	0.43
212/1	0.16
147	0.17
264	0.39
285	0.38
296	0.16
294	0.29
योग	37.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छितापार जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक रा. प्र. क्र. 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	1. अजिरमा	0.68	उप मुख्य अभियंता (निर्माण)/II/ दक्षिण पूर्व रेल्वे, बिलासपुर.	विश्रामपुर से अंबिकापुर तक रेल लाईन विस्तार हेतु (छूटा प्रकरण).
		2. रविन्द्रनगर	2.99		
		3. अजबनगर	0.13		
		4. कमलपुर	0.97		
		5. गणेशपुर	0.77		
		6. नैनपुर	1.74		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक रा. प्र. क्र. 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	1. अजिरमा	0.68	उप मुख्य अभियंता (निर्माण)/II/ दक्षिण पूर्व रेल्वे, बिलासपुर.	विश्रामपुर से अंबिकापुर तक रेल लाईन विस्तार हेतु (छूटा प्रकरण).
		2. रविन्द्रनगर	2.99		
		3. अजबनगर	0.13		
		4. कमलपुर	0.97		
		5. गणेशपुर	0.77		
		6. नैनपुर	1.74		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.